झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–181 / 2019

दीनानाथ चतुर्वेदी, पे0–श्री वशिष्ठ चतुर्वेदी, सा0–सी0टी0एस0 कॉलोनी, पुलिस लाइन, डाकघर और थाना–सदर, जिला–हजारीबाग, झारखंड .....याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. सचिव, गृह विभाग, झारखंड सरकार, रांची
3. सचिव, कानून विभाग, झारखंड सरकार, रांची
4. बिहार राज्य
5. सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना
6. उप सचिव, गृह विभाग (विशेष), बिहार सरकार, पटना
7. अभियोजन महानिदेशक, बिहार सरकार, पटना
8. श्री श्याम चौधरी, सहायक अभियोजन अधिकारी, अभियोजन कार्यालय, सिविल कोर्ट, समस्तीपुर, जिला–समस्तीपुर .....उत्तरदातागण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री समीर सौरभ, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री चंद्र प्रभा, अधिवक्ता

श्री रोहत, एस0सी0–I के ए0सी0

02 / 29.03.2019 यह मामला याचिकाकर्त्ता के कहने पर आया है।

याचिकाकर्त्ता के वकील द्वारा यह निवेदन किया गया है कि डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 1034 / 2007 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25.01.2019 के आदेश में, उक्त आदेश के पहले पृष्ठ की तीसरी पंक्ति में योगदान की तारीख 05.10.1990 के स्थान पर 14.09.1990 लिखा गया है।

इसके अलावा, उक्त आदेश के पहले पृष्ठ के चौथे पैराग्राफ में ''बिहार के कैडर में आवंटित'' को ''झारखंड के कैडर में आवंटित'' किया जाना चाहिए।

उत्तरदाताओं के लिए वकील मौजूद हैं और उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, उपरोक्त आदेश को, जैसा कि उपर बताया गया है, के हद तक संशोधित किया जाता है।

तद्नुसार, इस सी0एम0पी0 का निपटान किया जाता है।

(राजेश कुमार, न्याया0)